सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

RECOVERY OF LIQUOR

प्रेस नोट- दिनांक 02.10.2024

अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 10,000/- रूपये के इनामिया अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,
कब्जे से 03 कूटरचित फर्जी आरसी, 02 फर्जी मोहर एवं 02 फर्जी नम्बर प्लेट की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी,परिवहन एवं बिक्री की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में दिनांक 08.08.2024 को थाना चौबिया पुलिस द्वारा **01 ट्रक को चालक सहित गिरफ्तार** किया गया था, ट्रक की तलाशी लेने पर हेलमेट/हार्पिक के कारटून एवं नमक के बोरों के नीचे छिपे कारटून को खोला गया तो उनमें से **396 पेटी अंग्रेजी शराब रॉयल स्टैग/रॉयल चैलेंज कम्पनी (अनुमानित कीमत 45 लाख रूपये) जिसमें ट्रक सहित (कुल अनुमानित कीमत 65 लाख रूपये)** बरामदगी की गयी थी एवं ट्रक चालक से पूछताछ करने पर अभियुक्त विक्रम ठाकुर का नाम प्रकाश में आया था।

नोट:- अभियुक्त विक्रम ठाकुर की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा मु0अ0सं0 93/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस में 10,000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी।

इसी के क्रम में दिनांक 02.10.2024 को थाना बसरेहर पुलिस द्वारा अमृतपुर पुल पर गस्त की जा रही थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **अभियुक्त विक्रम ठाकुर पुत्र बच्चा ठाकुर को कल्ला बाग तिराहे के पास से समय 13.40 बजे गिरफ्तार** किया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करते हुये उसकी तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 03 कूटरचित फर्जी आरसी, 02 फर्जी मोहर एवं 02 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद की गयी जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर हरियाणा के बहादुरगढ़ से बिहार तक अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की तस्करी करता था। **दिनांक 08.08.2024 को मेरा साथी पंकज पुत्र सत्यनारायण निवासी तेलनी पूशो थाना विथान जनपद समस्तीपुर बिहार** को पुलिस ने ट्रक में भरी अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ लिया था एवं मैं मौका पाकर वहाँ से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. विक्रम ठाकुर पुत्र बच्चा ठाकुर उर्फ रामसोगरात ठाकुर निवासी ग्राम व थाना कमतौल जनपद दरभंगा बिहार **उम्र 43 वर्ष।**

बरामदगी-

1. 03 कूटरचित फर्जी आरसी
2. 02 फर्जी मोहर
3. 02 फर्जी नम्बर प्लेट
4. 1530/- रूपये नकद।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 93/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना चौबिया जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- उ0नि0 श्री समित चौधरी थानाध्यक्ष बसरेहर, उ0नि0 सोमवीर सिंह, हे0का0 मोहित कुमार, का0 अंकुर कुमार, का0 चालक वकीलुद्दीन।